FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU   P.S. (थाना): SVB KARNAL   Year (वर्ष): 2018

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 01/08/2018 15:57 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1 Day (दिन): Thursday   Date from (दिनांक से): 23/07/2015   Date To (दिनांक तक): 23/07/2015

   Time Period (समय अवधि): Pahar 1   Time From (समय से): 00:00 hrs   Time To (समय तक): 00:00 hrs

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/08/2018   Time (समय): 15:20 hrs

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010   Date and Time (दिनांक और समय): 01/08/2018 15:20 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 5 Km(s)   Beat No. (बीट सं.):

      (b) Address (पता): BDPO OFFICE KARNAL,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

   (a) Name (नाम): Raj singh

   (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 29/12/1971   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

   (e) UID No. (यूआईडी सं.):

   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	mohan nagar, JHANSA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	mohan nagar, JHANSA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्रीमति रोशनी देवी			1. अध्यक्षा,पंचायत समिति करनाल,SVB KARNAL,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA
2	नरेश कुमार			1. पंचायत समिति/खण्ड विकास,एंवम पंचायत अधिकारी,करनाल,SVB KARNAL,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA
3	श्री रमेश कुमार			1. लेखाकार कार्यालय खण्ड विकास,एंवम पचांयत अधिकारी,करनाल,SVB KARNAL,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA
4	अनिल कुमार राठी			1. उप मण्डल अधिकारी विधुत,पंचायती राज अम्बाला,अम्बाला,SVB KARNAL,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA
5	दिनेश कुमार			1. कनिष्ठ अभियन्ता विधुत,पंचायती राज अम्बाला,अम्बाला,SVB KARNAL,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

2. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर जैल है कि सेवा में प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 6 दिनांक 19.02.18 करनाल अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 61/120/2017-2 चौ-II दिनांक 15.02.2018 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यलय के पृष्ठ क्रमांक 2130-32/आई-6/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 20.02.2018 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल प्राप्त हुई थी। जिसमें श्री ऐस0डी0 अरोडा आर0टी0आई0 कार्यकर्ता मकान न0 1599 सैक्टर 13 अर्बन एस्टेट करनाल की शिकायत के आधार पर आरोप की पड़ताल की जानी थी। जिसमें आरोप था कि कार्यालय बी0डी0पी0ओ0 करनाल द्वारा सोलर लाईट खरीदने बारे बिल न0 39 दिनांक 05.01.2015 मुबलिग राशी 33,000/- रुपये फर्म सनराईज एसोसिएट एस0सी0ओ0 न0 100 मुगल कैनाल करनाल, बिल न0 446 दिनांक 24.09.2015 राशी मुबलिग 7,87,500/-रुपये फर्म रोयल ट्रेडर्स, सविता चौंक बरौदा रोड, गोहाना, सोनीपत, बिल न0 177 दिनांक 08.04.2015 मुबलिग 3,95,500/-रुपये फर्म आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा तहसील इन्द्री जिला करनाल, बिल न0 102 दिनांक 23.07.2015 मुबलिग 9,03960/- रुपये फर्म मान सोलर एनर्जी एस0सी0ओ0 न0 16 द्वितीय तल बस स्टैण्ड करनाल से सोलर लाईट की खरीद में फर्जी कूटेशन व मार्किट से ऊचे रेटो पर बिल बनवाकर राशी का गबन किया है। जो इस आरोप की पडताल मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अमल में लाई गई। मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा पडताल पर पाया गया कि पंचायत समिति करनाल द्वारा श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल व श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल की मौजूदगी में प्रस्ताव न0.4 दिनांक 9.12.2014 बाबत 26 गांव में 2×36 वांट की सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे पारित किया जाना पाया गया। जो इन स्ट्रीट लाईट हेतू स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला से बिना किसी पत्राचार से श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमान तैयार किया जाना पाया गया तथा इस अनुमान पर केवल स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये है। इस अनुमान बारे किसी भी उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नही की और ना ही अनुमान पर कोई तिथि अंकित पाई गई। इन 225 स्ट्रीट लाईट बारे मैसर्ज रोयल ट्रेडर्ज समता चौक बरौदा रोड, गोहाना, जिला सोनीपत, मैसर्ज सन्गू एनर्जी सेविंग सिस्टम बरौदा रोड गोहाना, जिला सोनीपत व मैसर्ज सूपर ईल्कट्रोनिक्स जिला लाडवा रोड पीपली जिला कुरुक्षेत्र से कुटेशन प्राप्त की जानी पाई गई। जो मुताबिक रिकार्ड सबसे कम रेट मैसर्ज रोयल ट्रेडर्ज समता चौक बरौदा रोड, गोहाना, जिला सोनीपत के मुबलिक 3500/-रु0 प्रति स्ट्रीट लाईट होने पाए गए जिसके आधार पर बिल न0. 446 दिनांक 24.03.15 अनुसार 2×36 वांट की सी0एफ0एल0 225 स्ट्रीट लाईटे इस फर्म द्वारा लगानी ब्यान हुई है तथा फर्म मौका पर मौजूद होनी पाई गई है व लाईटो की पूरी अदायगी भी बजरिया चैक फर्म के बैंक खाता में की जानी पाई गई। जो पडताल के दौरान कुटेशन से सम्बन्धित उक्त फर्मों मे से मैसर्ज सूपर ईल्कट्रोनिक्स जिला लाडवा रोड पीपली जिला कुरुक्षेत्र में मौजूद होनी नही पाई गई। जो इस फर्म से जारी कुटेशन फर्जी होनी पाई गई। इस कार्या को करवाने के लिए श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा कोई भी वर्क आर्डर जारी नही किया जाना पाया गया। इस कार्य के दौरान नियुक्त रहे श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना नही पाया गया और ना ही श्री स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई मापिका पुस्तिका तैयार की जानी पाई गई। इन लाईटो से सम्बन्धित कुटेशनो को श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा लाया जाना पाया गया। उक्त फर्मो की कुटेशनो पर श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल के हस्ताक्षर होने पाये गये। 225 स्ट्रीट लाईट लगाने बारे कोई रिकार्ड कार्यलय पंचायत समिति करनाल में पूर्ण रुप से होना नही पाया गया। जिससे गांव में लगाई गई लाईटो का आंकलन किया जा सके। बिना लाईटो का निरीक्षण किये बिल न0 446 दिनांक 24.03.2015 मुबलिक 7,87,500/-रु0 का फर्म से प्राप्त करके श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल व स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा तसदीक करने उपरान्त बिल की अदायगी हेतू श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमति प्रदान की जानी पाई गई। जबकि नियम के मुताबिक स्ट्रीट लाईटो के कार्य पूरा होने बारे स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी अनिवार्य थी। जो फर्जी कुटेशन प्राप्त करके, बिना स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट के मैसर्ज रोयल ट्रेडर्ज समता चौक बरौदा रोड, गोहाना, जिला सोनीपत को मुबलिक 7,87,500/-रु0 चैक द्वारा अदायगी की जानी पाई गई। जो श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल, श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल, श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल, श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल और स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा जान बुझकर अनिल कुमार मालिक मैसर्ज रोयल ट्रेडर्ज समता चौक बरौदा रोड, गोहाना, जिला सोनीपत से मिली भगत करके फर्म को फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुबलिक 7,87,500/-रु0 की अदायगी की जानी पाई गई। इसी प्रकार श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल व श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल की मौजूदगी में प्रस्ताव न0.3 दिनांक 17.03.2015 बाबत 31 गांव में 2×36 वांट की सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे पारित किया जाना पाया गया। जो इन स्ट्रीट लाईट हेतू स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला से बिना किसी पत्राचार से श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमान तैयार किया जाना पाया गया तथा इस अनुमान पर केवल स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये है। इस अनुमान बारे किसी भी उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नही की और ना ही अनुमान पर कोई तिथी अंकित पाई गई। इन 113 स्ट्रीट लाईट बारे मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल, मैसर्ज साई एनर्जी सलुशन कम्पनी नजदीक दर्पण सिनेमा बरसत रोड, जिला पानीपत व मैसर्ज ज्यातिं एनर्जी सिस्टम नजदीक मोती महल ढाबा नमस्ते चौंक करनाल से कुटेशन प्राप्त की जानी पाई गई। जो उक्त कुटेशने से सम्बन्धित फर्मो की तसदीक पर मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल द्वारा मौका पर रेत सिमेंट व बजरी का कार्य करना पाया गया परन्तू कुटेशन स्ट्रीट लाईट बारे दी जानी पाई गई। इसके अतिरिक्त मैसर्ज साई एनर्जी सलुशन कम्पनी नजदीक दर्पण सिनेमा बरसत रोड, जिला पानीपत व मैसर्ज ज्याति एनर्जी सिस्टम नजदीक मोती महल ढाबा नमस्ते चौंक करनाल फर्मे मौके पर होनी नही पाई गई तथा यह कुटेशन फर्जी तैयार की जानी पाई गई। जो इन फर्जी कुटेशने के आधार पर मुताबिक रिकार्ड सबसे कम रेट मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा, जिला करनाल के मुबलिक 3500/-रु0 प्रति स्ट्रीट लाईट होने पाए गए जिसके आधार पर बिल न0 177 दिनांक 08.04.15 अनुसार 2×36 वांट की सी0एफ0एल0 113 स्ट्रीट लाईटे इस फर्म द्वारा लगाने के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया तथा यह लाईटे किस फर्म से खरीद कर गांव में लगाई गई है यह भी बताने से इन्कार करते हुए इन्कार

किया तथा बाद में मौखिक तौर पर मैसर्ज चिराग एनर्जी सिस्टम इन्द्री, जिला करनाल से लाईटे प्राप्त करके गांव में लगवानी बतलाई है। जिसके सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार मालिक मैसर्ज चिराग एनर्जी सिस्टम इन्द्री, जिला करनाल द्वारा अपने कथन में मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल को कोई भी लाईट सप्लाई करने से इन्कार किया है। इस कार्या को करवाने के लिए श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा कोई भी वर्क आर्डर जारी नही किया जाना पाया गया। इस कार्य के दौरान नियुक्त रहे श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना पाया गया और ना ही श्री स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई मापिका पुस्तिका तैयार की जानी पाई गई। इन लाईटो से सम्बन्धित कुटेशनो को श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा लाया जाना पाया गया। मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल जो स्ट्रीट लाईटे उपलब्ध कराई गई उसमें भी संदेह होता है क्योंकि दिनांक 09.06.2015 को 113 स्ट्रीट लाईटे लेने उपरान्त मात्र 3 दिन में लगा दिखाकर मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल को बिल न0 177 दिनांक 08.04.2015 मुबलिक 3,95,500/-रु0 का प्राप्त करके श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल व स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा तसदीक करने उपरान्त बिल की अदायगी हेतू श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमति प्रदान की जानी पाई गई। जबकि नियम के मुताबिक स्ट्रीट लाईटो के कार्य पूरा होने बारे स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी अनिवार्य थी। जो फर्जी कुटेशन प्राप्त करके, बिना स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट के मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल को मुबलिक 3,95,500/-रु0 चैक द्वारा अदायगी की जानी पाई गई। इसी प्रकार श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल, श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल, श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल, श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल और स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा जान बुझकर मनीष कुमार मालिक मैसर्ज आजाद इन्टरप्राईजिज गांव कलसौरा जिला करनाल से मिली भगत करके फर्म को फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुबलिक 3,95,500/-रु0 की अदायगी की जानी पाई गई तथा श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल व श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल की मौजूदगी में प्रस्ताव न0.4 दिनांक 27.05.2015 बाबत गांव रिन्डल में 2 सौर उर्जा लाईट लगवाने बारे पारित किया जाना पाया गया। जो इन सौर उर्जा लाईट हेतू स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला से बिना किसी पत्राचार से श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमान तैयार किया जाना पाया गया तथा इस अनुमान पर केवल स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये है। इस अनुमान बारे किसी भी उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नही की और ना ही अनुमान पर कोई तिथी अंकित पाई गई। इन 2 सौर उर्जा लाईट बारे मैसर्ज सन राईस एसोसियेटस, कार्यालय एस0सी0ओ0. 100 मुगल कैनाल करनाल, मैसर्ज जिगमा सोलर पावर एण्ड एक्यूपमैंटस गांव सिरसी, जिला करनाल व मैसर्ज खटखड ईल्कट्रीक स्टोर, नजदीक भगत सिंह चौक नरवाना, जिला जीन्द से कुटेशने प्राप्त की जानी पाई गई। जो उक्त कुटेशनो से सम्बन्धित फर्मो की तसदीक पर उक्त तीनो फर्मो की कुटेशन फर्जी होनी पाई गई तथा तीनो फर्मे मौका पर होनी नही पाई गई। जो मैसर्ज सन राईस एसोसियेटस, कार्यालय एस0सी0ओ0. 100 मुगल कैनाल करनाल के सम्बन्ध में भवन के मालिक श्री ललित कुमार बंसल द्वारा अपने कथन में मेरे भवन में इस नाम से सम्बन्धित कोई फर्म कभी भी होनी नही बतलाई गई। मैसर्ज जिगमा सोलर पावर एण्ड एक्यूपमैंटस गांव सिरसी, जिला करनाल बारे गांव सिरसी में तसदीक करने पर इस नाम की फर्म भी गांव सिरसी में नही होनी पाई गई। इसी प्रकार मैसर्ज खटखड ईल्कट्रीक स्टोर, नजदीक भगत सिंह चौक नरवाना, जिला जीन्द के मालिक श्री होशियार सिंह खटखड द्वारा अपने कथन में उसकी फर्म के नाम से जो कुटेशन जारी की है उसने यह कुटेशन फर्जी बतलाई है तथा उस कुटेशन पर हस्ताक्षर भी फर्जी बतलाए है जो इस प्रकार यह सभी कुटेशने फर्जी तौर पर तैयार की जानी पाई गई। जो इन फर्जी कुटेशनो के आधार पर मुताबिक रिकार्ड फर्जी फर्म मैसर्ज सन राईस एसोसियेटस, कार्यालय एस0सी0ओ0. 100 मुगल कैनाल करनाल से 2 सौर उर्जा लाईटे मुबलिक 16,500/-रु0 प्रति सौर उर्जा लाईट के हिसाब से मुबलिक 33,000/-रु0 में खरीद करनी दर्शाई गई है। जिसके आधार पर बिल न0 39 दिनांक 05.01.15 फर्जी तौर पर तैयार किया जाना पाया गया। इस कार्या को करवाने के लिए श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा कोई भी वर्क आर्डर जारी नही किया जाना पाया गया। इस कार्य के दौरान नियुक्त रहे श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई स्टॉक रजिस्टर नही बनाया जाना पाया गया और ना ही श्री स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई मापिका पुस्तिका तैयार की जानी पाई गई। इन लाईटो से सम्बन्धित कुटेशनो को श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा लाया जाना पाया गया। जो कुटेशन मैसर्ज सन राईस एसोसियेटस, कार्यालय एस0सी0ओ0. 100 मुगल कैनाल करनाल द्वारा प्राप्त की गई है उस पर दिनांक 21.12.2015 अंकित है जबकि बिल न0 39 दिनांक 05.01.2015 मुबलिक 33,000/-रु0 का है जो इस बिल को श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल व स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा तसदीक करने उपरान्त बिल की अदायगी हेतू श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमति प्रदान की जानी पाई गई। जबकि इन सौर लाईटो बारे स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी अनिवार्य थी। जो फर्जी कुटेशन प्राप्त करके, बिना स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट के मैसर्ज सन राईस एसोसियेटस, कार्यालय एस0सी0ओ0. 100 मुगल कैनाल करनाल को मुबलिक 33,000/-रु0 चैक द्वारा अदायगी की जानी पाई गई। जो श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल, श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल, श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल, श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल और स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा जान बुझकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मैसर्ज सन राईस एसोसियेटस, कार्यालय एस0सी0ओ0. 100 मुगल कैनाल करनाल को 33,000/-रु0 की अदायगी की जानी पाई गई। जो उपरोक्त बिलो में दर्शाइ स्ट्रीट लाईटो की खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल द्वारा अपने कथन में स्ट्रीट लाईट लगने बारे किसी भी प्रकार जानकारी होने से इन्कार किया है। जो उपरोक्त बिल न0 446 दिनांक 24.03.2015 मुबलिक 7,87,500/-रु0, बिल न0 177 दिनांक 08.04.2015 मुबलिक 3,95,500/-रु0 व बिल न0 39 दिनांक 05.01.15 मुबलिक 33,000/-रु0 कुल 12,16,000/-रु0 फर्जी दस्तावेज के आधार पर अदायगी की जानी पाई गई। जो सरकारी राशी के गबन के लिए पूर्ण रुप से श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल, श्री अशोक कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड

विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल, श्री नारायण दत्त उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज करनाल, श्री राकेश कुमार सहायक जवाहर रोजगार योजना कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल और स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला जिम्मेवार है। जिनके विरुद्व जेर धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13 (1) डी पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का सुझाव दिया गया व यदि अन्य किसी व्यक्ति की भी इस मामले में सलिप्तां पाई जाए तो दौराने तफतीश उसे भी मुकदमा में शामिल किया जाने का सुझाव दिया गया। इसी प्रकार पडताल के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति करनाल द्वारा श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल व श्री नरेश कुमार तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल की मौजूदगी में प्रस्ताव न0.4 दिनांक 17.03.2015 बाबत 26 गांव में 2×36 वांट की 324 सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे पारित किया जाना पाया गया। जो इन स्ट्रीट लाईटो के अनुमान हेतू कार्यकारी अधिकारी पंचायती राज/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा कार्यकारी अभियन्नता विधुत पंचायती राज अम्बाला को पत्र क्रमांक 4619 दिनांक 23.06.2015 लिखा गया। जिसके आधार पर श्री दिनेश कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्नता विधुत पंचायती राज अम्बाला हाल कनिष्ठ अभियन्नता विधुत पंचायती राज हिसार से व श्री अनिल कुमार राठी उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला स्ट्रीट लाईट का अनुमान तैयार करके कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल को भेजा जाना पाया गया। इन 324 स्ट्रीट लाईट बारे मैसर्ज मान सोलर एनर्जी दुकान न0 18 द्वितीय तल बस स्टैण्ड के पीछे करनाल, मैसर्ज मनसा सोलर एनर्जी 98-99 जरनैली कोठी कालोनी, जिला करनाल, मैसर्ज श्री टोटल सोलर एनर्जी गांव कुरलन, जिला करनाल व मैसर्ज धन्तयान इल्कट्रीक गांव बाखली, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से कुटेशन प्राप्त की जानी पाई गई। जो उक्त कुटेशनो से सम्बन्धित फर्मो की तसदीक पर मैसर्ज मान सोलर एनर्जी बस स्टैण्ड के पीछे करनाल, मैसर्ज श्री टोटल सोलर एनर्जी गांव कुरलन जिला करनाल व मैसर्ज धनतयान ईल्कट्रीक गांव बाखली तहसील पेहवा जिला कुरुक्षेत्र फर्मे मौके पर होनी नही पाई गई तथा यह कुटेशन फर्जी तैयार की जानी पाई गई। जो इन फर्जी कुटेशने के आधार पर मुताबिक रिकार्ड सबसे कम रेट मैसर्ज मान सोलर एनर्जी बस स्टैण्ड के पीछे करनाल के मुबलिक 2850/-रु0 प्रति स्ट्रीट लाईट होने पाए गए। जिसके आधार पर बिल न0 102 दिनांक 23.07.15 अनुसार 2×36 वांट की सी0एफ0एल0 324 स्ट्रीट लाईटे इस फर्म द्वारा लगाने के सम्बन्ध में कार्यालय कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया तथा इस कार्य के दौरान नियुक्त रहे श्री रमेश कुमार लेखाकार कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना नही पाया गया और अनिल कुमार राठी उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला या दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा स्ट्रीट लाईटो बारे कोई मापिका पुस्तिका तैयार की जानी नही पाई गई। इन लाईटो से सम्बन्धित कुटेशनो को रमेश कुमार लेखाकार कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल द्वारा लाया जाना पाया गया। मैसर्ज मैसर्ज मान सोलर एनर्जी बस स्टैण्ड के पीछे करनाल जो स्ट्रीट लाईटे उपलब्ध कराई गई उसमें भी संदेह होता है क्योंकि दिनांक 20.07.2015 को 324 स्ट्रीट लाईटे लेने उपरान्त मात्र 3 दिन में लगा दिखाकर मैसर्ज मैसर्ज मान सोलर एनर्जी बस स्टैण्ड के पीछे करनाल को बिल न0 102 दिनांक 23.07.2015 मुबलिक 9,039,60/-रु0 का प्राप्त करके अनिल कुमार राठी उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला या दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा तसदीक करने उपरान्त बिल की अदायगी हेतू श्री नरेश कुमार कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल द्वारा अनुमति प्रदान की जानी पाई गई। जबकि नियम के मुताबिक स्ट्रीट लाईटो के कार्य पूरा होने बारे स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी अनिवार्य थी। जो फर्जी कुटेशन प्राप्त करके, बिना स्टॉक रजिस्टर, मापिका पुस्तिका व निरीक्षण रिपोर्ट के मैसर्ज मान सोलर एनर्जी बस स्टैण्ड के पीछे करनाल को मुबलिक 9,039,60/-रु0 पी0एल0ए0 खाता द्वारा अदायगी की जानी पाई गई। जो इन स्ट्रीट लाईटो की खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल द्वारा अपने कथन में स्ट्रीट लाईट लगने बारे किसी भी प्रकार जानकारी होने से इन्कार किया है। श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल, श्री नरेश कुमार तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल, श्री रमेश कुमार लेखाकार कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल, अनिल कुमार राठी उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला व दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता विधुत पंचायती राज अम्बाला द्वारा जान बुझकर मिली भगत करके फर्जी फर्मो के नाम पर कुटेशन तैयार करके मैसर्ज मान सोलर एनर्जी बस स्टैण्ड के पीछे करनाल के नाम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुबलिक 9,039,60/-रु0 की अदायगी की जानी पाई गई। जो सरकारी राशी के गबन के लिए पूर्ण रुप से श्रीमति रोशनी देवी तत्कालीन अध्यक्षा पंचायत समिति करनाल, श्री नरेश कुमार तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति/खण्ड विकास एंवम पंचायत अधिकारी करनाल, श्री रमेश कुमार लेखाकार कार्यालय खण्ड विकास एंवम पचांयत अधिकारी करनाल व अनिल कुमार राठी उप मण्डल अधिकारी विधुत पंचायती राज अम्बाला व दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता विधुत पंचायती राज अम्बाला जिम्मेवार है। जिनके विरुद्व जेर धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13 (1) डी पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का सुझाव दिया जाता है यदि अन्य किसी व्यक्ति की भी इस मामले में सलिप्तां पाई जाए तो दौराने तफतीश उसे भी मुकदमा में शामिल किया जाए। जो अतिरिक्त मुख्य सचिव चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 61/120/2017-2 चौकसी-II दिनांक 23.07.2018 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के क्रमांक 10563/आई-6/SVB(H) दिनांक 25.07.2018 अनुसार मुकदमा जेर धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा0द0स व 13(1)डी पी0सी एक्ट दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश प्राप्त हुए है। लिहाजा तहरीर बराये कायमी मुकदमा अरसाल थाना हWW।SD राज सिंह) ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक,राज्य चौकसी ब्यूरो,करनाल मण्डल, करनाल । अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर बाद अनुमोदन पत्र क्रमांक न0 10782/I-6/ SVB (H) dated Panchkula, the 30-07-2018 के बजरिया डाक थाना हजा पर प्राप्त होने पर कायमी मु0 नं0 11 दिनॉक 01-08-2018 जेर धारा 409,420,467,468,471,120B IPC वा 13(1) डी पी0 सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो करनाल दर्ज रजिस्टर किया नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर, आमदा रिकार्ड को आगामी तफतीश हेतू हवाले निरीक्षक सुल्तान सिंह थाना रा0चै0ब्यूरो0 करनाल की जाएगी। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से उप. निरीक्षक श्री भीम सिंह न0.410/KNL की हाजिरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sultan Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): HAP64 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): भीम सिंह

Rank (पद): उप निरीक्षक
Police)

No. (सं.): -410/KNL

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1979				Is Proxitted: Yes
2	Male	1978				Is Proxitted: Yes
3	Male	1977				Is Proxitted: Yes
4	Male	1980				